न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2019/00077

प्रा0पत्र संख्या 17/2019

तारीख रजू 03.12.2019

(1) अब्दुल रऊफ पुत्र अयूब खान नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर

(2) मुशरफ पुत्र अशरूफ नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर

––– प्रार्थीगण

बनाम

(1) मारूफ पुत्र अयूब खान नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर हाल नि0 बी60 न्यू पब्लिक स्कूल के पास, विज्ञान नगर विस्तार योजना वाली लाईन कोटा जिला कोटा

(2) सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

––––अप्रार्थीगण

उपस्थित

(1) श्री नेमीचन्द बैरवा एडवोकेट प्रार्थीगण 1 लगायत 2 की ओर से

(2) राजकीय पेरोकार विपक्षी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.10.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 मारूफ पुत्र अयूब खा़न नि0 मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर हाल नि0 बी60 न्यू पब्लिक स्कूल के पास, विज्ञान नगर विस्तार योजना वाली लाईन कोटा जिला कोटा को आराजी खसरा नम्बर 1383/1 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में दिनांक 18.06.1999 को किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी सं0 1 को भिजवाये गये रजिस्टर्ड नोटिस की पुस्त पर ''प्राप्तकर्ता ने डाक लेने से मना किया अतः वापिस भेजी'' अंकन होकर नोटिस वापिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की [illegible] की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थीगण ग्राम मलारना डूंगर के स्थायी निवासीयान है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वाके ग्राम मलारना डूंगर में स्थित आराजी ख0नं0 1383/1 क्षेत्रफल 1711/2 बंजड नामान्तकरण संख्या 3912 दिनांक 18.08.2001 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:45 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी स्वीकार हुई है जो वर्तमान में गैर खातेदारी है जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का बराबर–बराबर का हिस्सा है जिस पर तीनो भाई बराबर बराबर हिस्से पर खातेदार एवं काबिज है लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त आराजीयात ख0नं0 1383/1 में रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अलोटमेन्ट हुई जिसको अन्यत्र व्यक्ति को बेचने पर आमादा है जबकि उक्त जमीन का किसी भी रूप में बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजीयात का बंटवारा करवा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त सारी जमीन को अन्यत्र व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है जिसका पता अपीलांट को दिनांक 28.09.2019 को पता चला तो अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड निकलवाकर उक्त अलोटमेन्ट निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। उक्त आराजीयात रेस्पो0 सं0 1 के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई तथा कानूनन रेस्पो0 नं0 1 उक्त आराजी को अन्यत्र नहीं बेच सकता है क्योंकि उक्त आराजी वर्तमान में गैर खातेदारी है जबकि खातेदार घोषित नहीं हुई है इस प्रकार उक्त आराजी को विधि के अनुरूप रेस्पोडेन्ट नं0 1 को किसी अन्यत्र व्यक्ति को रहन बेचान इत्यादि नहीं कर सकता है जो कानूनन गलत है। उक्त ख0नं0 1383 में अन्यत्र व्यक्तियों के भी उक्त ख0नं0 में से अलोटमेन्ट हुई है क्योंकि उक्त ख0नं0 का रकबा बडा जिसमें से ही अलग–अलग व्यक्तियों के अलग अलग हिस्से अलोटमेन्ट हुआ है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के खानदारी सजरा जिसमें अयूब खान के पुत्र 1. अब्दुल रऊफ, 2. मारूफ एवं 3. मशरूफ है जिस आधार पर तीनों भाईयों की जमीन उक्त ख0नं0 में शामलाती है जो संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं इस प्रकार कोई भी तीनों में से नहीं बता सकता कि मेरा हिस्सा कौनसा है व किस तरफ का है इस प्रकार उक्त आराजी में तीनों का बराबर बराबर का हिस्सा है जिसपर तीनों भाई बराबर काश्त करते चले आ रहे है जबकि रेस्पो0 नं01 के नाम दो बीघा अलोटमेंट हुई जमीन पर आज तक रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है ना ही वर्तमान में है उक्त आराजीयात बंजड पडी हुई है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार उक्त आराजीयात को रेस्पो0 नं0 1 गलत रूप से अन्यत्र व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है इसलिए उक्त आराजीयात में तीनों भाईयों का बराबर बराबर का हिस्सा मौके पर बंटा हुआ है। उक्त आराजीयात को रेस्पो0 नं01 द्वारा गलत आधारो पर विक्रय करने पर आमादा है जिससे अपीलांट को भारी क्षति होने की संभावना है और लडाई झगडा बढने की पूरी पूरी आशंका है। अन्त में वकील प्रार्थीगण ने आलोच्य आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया कि उक्त प्रकरण अपील ना होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14[illegible] के मुताबिक [illegible] जमाबन्दी ग्राम मलारना डूंगर ए संवत् 2050–53 खाता सं0 1 ख0नं0 1383 [illegible] नामां. 3912 निर्णय दिनांक 18.08.2001 खातेदारी के अनुसार ख0नं0 1383/1 मिन. [illegible] बीघा में से मोहम्मद मारूफ पुत्र अयूब खान जाति मुसलमान (बेकार) ख0नं0 1383/1 मिन. रकबा 02.00 बीघा बंजड–1 की गैर खातेदारी स्वीकार हुई। नामां. सं. 5322 निर्णय दिनांक 24.09.2019 से ख0नं0 1383 मिन. 1 रकबा 2.00 बीघा पर मारूफ पुत्र अयूब खां की खातेदारी स्वीकार हुई। नामां. सं. 5344 निर्णय दिनांक 06.12.2019 द्वारा विक्रय नामां. से ख0नं0 1383

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sha
Date: 2025.12.11 10:39:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मिन. 1 रकबा 02.00 बीघा पर मारूफ पुत्र अयूब खान के स्थान पर खमीशा पत्नी शाहिद जाति मुसलमान सा.देह के नाम नामां. स्वीकार हुआ है तथा वर्तमान में ख0नं0 1383 मिन. 1 पर खमीशा पत्नी शाहिद मुसलमान काबिज है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1383/1 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में दिनांक 18.06.1999 को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2019 को पेश किया गया है जबकि नामां. सं. 5322 निर्णय दिनांक 24.09.2019 से ख0नं0 1383 मिन. 1 रकबा 2.00 बीघा पर मारूफ पुत्र अयूब खां की खातेदारी दिनांक 24.09.2019 को ही स्वीकार हो चुकी थी। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण के न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र पेश करने से पूर्व ही प्राप्त हो चुके थे। खातेदारी अधिकार भूमि पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार देते हैं जिसमें कब्जे और उपयोग के अधिकार शामिल हैं। खातेदार अपनी भूमि अपने अधिकार से बेच और हस्तान्तरित कर सकता है। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त आवंटित एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 1383 मिन. 1 रकबा 02.00 बीघा खमीशा पत्नी शाहिद जाति मुसलमान सा.देह को विक्रय कर दी जिसका नामां. सं. 5344 निर्णय दिनांक 06.12.2019 द्वारा विक्रय नामां. से ख0नं0 1383 मिन. 1 रकबा 02.00 बीघा पर मारूफ पुत्र अयूब खान के स्थान पर खमीशा पत्नी शाहिद जाति मुसलमान सा.देह के नाम नामां. स्वीकार हुआ है तथा वर्तमान में ख0नं0 1383 मिन. 1 पर खमीशा पत्नी शाहिद मुसलमान काबिज है। ऐसी स्थिति में गै0खातेदारी से खातेदारी की गई भूमि पर आवंटन रूल्स 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि खातेदारी होना स्पष्ट नहीं किया है। अतः उक्त भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने तथा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **07/10/2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:45 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर